Government Of Rajasthan
Office of The Principal & Controller
Govt. Medical College & Attached Hospital, Bharatpur (Raj.)
EMAIL- principal.mc.bhartpr@rajasthan.gov.in

क्रमांकः मेडि. कॉले. / संस्था / राज. / 2020 / 447 दिनांक 29 / 02 / 2020

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांकः GMC/Estt./Faculty/UTB/2020/102 दिनांक 20.01.2020 एवं MC/Gaz./SR/2020/226 दिनांक 03.02.2020 के तहत साक्षात्कार का आयोजन क्रमशः दिनांक 22.01.2020 से 28.01.2020 तक एवं 10.02.2020 को किया गया एवं श्रीमान् निदेशक, राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर के पत्र क्रमांकः F1(20)RajMES/Estt./UTB Faculty/Bharatpur/2017/553 दिनांक 28.02.2020 के द्वारा, श्रीमान् निदेशक, राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1(79)डीएमई / संस्था / 2017 / पार्ट–1 / 7312 दिनांक 10.11.2017 के तहत इस चिकित्सा महाविद्यालय में स्वीकृत पदों पर राजमेस के एम्पलॉयमेन्ट रूल्स (रिक्रूटमेन्ट एण्ड अदर कंडीशन्स) 2017 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्ति उपरान्त रिक्त रहे पदों को सोसायटी के सेवानियमों के अंतर्गत विहित प्रक्रिया प्रावधानानुसार तथा निम्न चिकित्सक शिक्षकों की योग्यता एम.सी.आई. के मापदण्डों के अनुसार सुनिश्चित करते हुये, उक्त आदेश / निर्देशों की अनुपालना में निम्न अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद एवं विभाग में आवश्यक अस्थायी आधार पर 06 माह अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो के लिए निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है। एम.सी.आई. द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर इनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी।

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पदनाम	विभाग
1	डॉ. नेहा शर्मा	वरिष्ठ प्रदर्शक	बायोकैमिस्ट्री
2	डॉ. नम्रता शर्मा	वरिष्ठ प्रदर्शक	पैथोलॉजी

नियम व शर्तें:–

1. अभ्यर्थी को परिणाम जारी होने की तिथि से 07 कार्यदिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समय में उपस्थिति प्रस्तुत नही करने पर यूटीबी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त हो जावेगी।
2. यह नियुक्ति आवश्यक अस्थायी आधार (यूटीबी) पर 06 माह अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो के लिए होगी।
3. अभ्यर्थी को योग्यता से संबंधित समस्त मूल दस्तावेज (मय स्वप्रमाणित छायाप्रति), अनुभव प्रमाण पत्र, सक्षम स्तर से जारी दो चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सहित अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उक्त दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर नियुक्ति तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी।
4. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण के समय इस आशय का घोषणा पत्र (100 रू के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर) प्रस्तुत करना होगा कि:–
   - **क.** उसे किसी भी सक्षम न्यायालय / प्राधिकारी द्वारा संस्था में नियोजन प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित नही किया गया है।
   - **ख.** कदाचार के कारण पूर्व में उसकी सेवायें समाप्त नही की गई है और न ही उसे कोई चेतावनी जारी की गई है।
   - **ग.** वे किसी और विभाग में कार्यरत नही है और न ही कहीं नियमित आधार पर शैक्षणिक कार्यक्रम में नामांकित है।
   - **घ.** उसने शैक्षणिक सत्र 2019–20 के दौरान दिनांक 01.08.2019 को या उसके बाद एम.सी.आई. निरीक्षण में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है।
5. सेवा में कार्यरत् अभ्यर्थी को अपने नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत करना होगा।
6. आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति राजमेस के एम्पलॉयमेन्ट रूल्स (रिक्रूटमेन्ट एण्ड अदर कंडीशन्स) 2017 के अध्याधीन रहेगी। राजमैस, जयपुर द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना / संशोधन / आदेश / निर्देश लागू एवं मान्य होंगे।
7. कार्यग्रहण के लिए अभ्यर्थी को टीए / डीए देय नही होगा।

Government Of Rajasthan
Office of The Principal & Controller
Govt. Medical College & Attached Hospital, Bharatpur (Raj.)
EMAIL- principal.mc.bhartpr@rajasthan.gov.in

8. अभ्यर्थी को राजमैस के नियमो के अंतर्गत समेकित वेतन देय होगा।
9. कर्त्तव्य– अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं विभाग प्रभारी के निर्देशानुसार कार्यो का निर्वहन करना होगा। दैनिक कार्यावधि भी अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं विभाग प्रभारी के निर्देशानुसार रहेगी। कर्त्तव्य स्थल पर पहुंचने के लिए कोई भत्ता देय नही होगा। हडताल आदि सम्मिलित होने या अनुशासनहीनता के दोषी पाये जाने पर सेवाये तत्काल प्रभाव से बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जावेगी।
10. कार्यरत कार्मिक न्यूनतम एक माह पूर्व की अवधि का नोटिस देकर त्याग पत्र दे सकेंगे। एक माह का नोटिस नही देने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकृत/सेवा समाप्त होने से एक माह पूर्व का वेतन जमा कराना अनिवार्य होगा।
11. कार्मिको से संबंधित सभी मामलों में प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक का निर्णय अंतिम होगा।
12. अभ्यर्थी को 01 माह के भीतर पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
मेडिकल कॉलेज, भरतपुर

क्रमांकः मेडि. कॉले./संस्था/राज./2020/447 दिनांक 29/02/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान् निदेशक, राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर
2. नोडल अधिकारी (वेबसाइट) को भेजकर लेख है, कि कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
3. कार्यालय प्रति

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
मेडिकल कॉलेज, भरतपुर